आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-65/2019

राज्य

बनाम

13/09/19

1. **दीपक कुमार, पिता-विनोद शर्मा, सा0-ब्रजेश नगर, थाना-के0 हाट, जिला-पूर्णिया। (जप्त Tata Tiago Chechis No.-MAT626282JKF60610 के मालिक)**

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **के0 हाट थाना कांड सं0-544/2018 दिनांक 01.08.2018** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 1271/हि0शा0 दिनांक-26.03.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 01.08.2018 को पूर्णिया जनता चौक से पश्चिम कोकोकोला एजेन्सी के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन से Royal Challange Whisky का 11 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0 का) एवं Royal Stag Whisky का 13 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0 का) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी वाहन मालिक द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18.02.19 को कारणपृच्छा प्रस्तुत किया गया है, जो अभिलेखबद्ध है। कारणपृच्छा में मुख्य रूप से वर्णित है कि जप्त वाहन के वे स्वामी हैं। पुलिस द्वारा उक्त वाहन नवीन कुमार मण्डल एवं राहुल कुमार से जप्त किया गया है, जिनके द्वारा विपक्षी से वाहन मांग कर लिया गया था। जप्त शराब से विपक्षी वाहन मालिक का कोई संबंध नहीं है। वाहन मालिक **Undertaking** देने के लिए तैयार है। अतएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि जप्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **जप्त वाहन से Royal Challange Whisky का 11 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0 का) एवं Royal Stag Whisky का 13 बोतल (प्रति बोतल 750 मि0ली0 का) विदेशी शराब** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब

के परिवहन में किया गया है। विपक्षी वाहन मालिक द्वारा भी वाहन से शराब पाए जाने की पुष्टी की गई है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी वाहन मालिक से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी वाहन मालिक द्वारा समर्पित कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त Tata Tiago Chechis No.-MAT626282JKF60610** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

13/09/19

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।